राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 886/2025

सुनीता शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामलात, राजस्थान, जयपुर।
3. निर्मला चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला आपूर्ति अधिकारी जयपुर शहर में पदोन्नति के बाद अब जयपुर शहर में पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 14.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल सिंह खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अजमेर में स्थानान्तरण किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 का पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरण किया गया है। इससे पूर्व प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण खाद्य विभाग मुख्यालय, जयपुर से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.06.2024 द्वारा कार्यमुक्त किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 10.06.2024 को अपीलार्थी ने उक्त स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया एवं अपीलार्थी का स्थानान्तरण 6 माह की अल्पावधि में किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसका पदस्थापन गलत दर्शाया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3

जो वर्ष 2016 से कार्यरत है, को समंजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अजमेर में किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है किः–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके समकक्ष पद पर किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि या दुर्भावना प्रकट नहीं होती है। अतः आलोच्य आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)